प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

1–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
अलीगढ/आगरा/मैनपुरी/मथुरा/फिरोजाबाद/हाथरस/एटा/कासगंज/जालौन/हमीरपुर/महोबा/ बॉदा/चित्रकूट/लखनऊ/रायबरेली/उन्नाव/सीतापुर/लखीमपुर,खीरी/बदॉयू/पीलीभीत/शाहजहॉपुर/मेरठ/बागपत/गाजियाबाद/मुजफ्फरनगर/शामली/अमरोहा/बिजनौर/वाराणसी/गाजीपुर/जौनुपर/मिरजापुर/सोनभद्र/संतक बीर नगर/सिद्धार्थ नगर/आजमगढ/मऊ/बलिया/इलाहाबाद/कौशाम्बी/फतेहपुर/प्रतापगढ/कानपुर नगर/फरूखाबाद/कन्नौज/औरैया/फैजाबाद/अम्बेडकरनगर/सुल्तानपुर/ अमेठी/ गोण्डा/बलरामपुर/श्रावस्ती।

2–परियोजना निदेशक,वृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र,नौगढ–चन्दौली।

3–प्रक्षेत्र प्रबन्धक/प्रभारी,राजकीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र,
सैदपुर –ललितपुर/नीलगॉव–सीतापुर/निबलेट–बाराबंकी।

संख्याः /प0–1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/2014–15,दिनॉक 20-7-2015

विषयः सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना,विकास,सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना(जि0यो0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एंव भौतिक प्रगति उपलब्ध <u>कराने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–1202/प0–1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/2014–15,दिनॉक–16–6–2015 का संदर्भ ग्रहण करें,जिसके द्वारा वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष्य वित्तीय एंव भौतिक प्रगति उपलब्ध कराने के निर्देश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये थे,जो आपके स्तर से अभी तक प्रतीक्षित है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अन्तिम बार आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद/प्रक्षेत्र में वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष्य वित्तीय एंव भौतिक प्रगति इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी अवगत कराये कि विभिन्न मानक मदों में आवंटित धनराशि से आप द्वारा क्या क्या कय किया गया है उसकी सम्पूर्ण सूचना बिल बाउचर्स के साथ उपलब्ध करायें। 39–सामग्री एंव सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि से कय किये पशुओं की संख्या एंव राशन की मात्रा तथा अंशदान पर जिन लाभार्थियों को नर सूकर अंशदान पर वितरित किये गये है उनके नाम/पता/सम्पर्क सूत्र से सम्बन्धित सूचना(बिल बाउचर्स के साथ) भी इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत कराये। अनुस्मारक की प्रतीक्षा कदापि न की जाय।जिन मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों/सूकर प्रक्षेत्रों के प्रभारियों द्वारा सूचना एक सप्ताह में उपलब्ध नही करायी जायेगी उनके विरूद्ध अनुसानात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया जायेगा।

प्रकरण को शीर्ष प्रािमिकता प्रदान की जाय।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

संख्याः 1296 /प0–1/9ख/सूकर प्रक्षेत्र/2014–15,दिनॉक 2015

प्रतिलिपिः निम्नलिखि को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,ग्रेड–2,पशुपालन विभाग,उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने से सम्बन्धित जनपदों से उपरोक्त सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

2–उप निदेशक(प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग,महानगर,लखनऊ को इस निर्देश के साथ वह अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुए समस्त सूकर प्रक्षेत्रों की उपरोक्तानुसार वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एंव भौतिक प्रगति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

3–श्री नवीन गुप्ता,कम्प्यूटर सुपरवाइजर,प्रधान कार्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।